दिनाक 20.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–20/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस स्मृति दिवस– 2020

जनसेवा का उच्च आदर्श हृदयंगम किये अनेकों पुलिसजन प्रति वर्ष कर्तव्यपथ का अनुगमन करते हुए वीरगति को प्राप्त होते रहे हैं। पुलिस जनों के कार्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इसमें कदम–कदम पर जोखिम व जीवनभय सन्निहित है यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुतियॉ देते रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर–मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिस जन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती, अपितु अविरल अनुप्राणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर द्विगुणित साहस व मनोयोग से आगे बढ़ने के लिये ऐसी एक गाथा आज से इकसठ वर्ष पुरानी है।

भारत की उत्तरी सीमा, लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फिट से ऊँचे बर्फ से ढके पर्वतों, दर्रों के बीच जहॉ कि सामान्य नागरिक सुविधाओं के उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, वहॉ सदैव की भॉति उस दिन भी देश की सीमा के सजग प्रहरी ''केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल'' के जवान अपने नियमित गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान अचानक उन्हें लगा कि वे शत्रु से घिर चुके हैं। चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही सिपाहियों को पकड़ने के लिये एम्बुश लगाया था। चीनियों ने दावा किया कि वह क्षेत्र उनका है पर भारतीय पुलिस के जवान, जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख–सुविधा से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेकर आये थे, अपनी मातृभूति का एक इंच टुकड़ा भी शत्रु को कैसे सौंप देते। प्राण देकर भी मातृभूमि की रक्षा करने की भारतीय बहादुरों की परम्परा पर उन्होंने आंच नहीं आने दी तथा साधारण शस्त्रों के सहारे ही ये जवान स्वचालित रायफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों से भिड़ गये। इस प्रकार भारतीय पुलिस के दस बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी।

21 अक्टूबर 1959 का यह दिन हमारे जवानों की प्रेरणा का एक अनन्य श्रोत बन गया। मातृभूमि की रक्षा के लिये प्राणों का भी उत्सर्ग कर देने वाले बहादुरों का बलिदान सदैव हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। इन्हीं वीर जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को सम्पूर्ण भारत के पुलिस जन वीरगति को प्राप्त हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ''शत्–शत् नमन्'' उन बहादुरों को जिनके लिये कर्तव्य पालन प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा।

दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि में सम्पूर्ण भारत में कुल 264 पुलिसजनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवनाहुतियॉ ने दी गयी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 09 पुलिसजन भी सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस इन महान कर्तव्यपालन व अप्रतिम बलिदान की सराहना में नतमस्तक हैं और अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

पुलिस स्मृति दिवस—2020

दिनॉकः01.09.2019 से 31.08.2020 तक की अवधि में कर्तव्य पथ पर वीरगति प्राप्त 09 पुलिस कर्मियों की शौर्य गाथाएं

1—स्व0 देवेन्द्र मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद —कानपुर नगर

2—स्व0 अनूप कुमार सिंह, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस—152412690 जनपद—कानपुर नगर

3—स्व0 महेश कुमार यादव, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस—942730052 जनपद—कानपुर नगर

4—स्व0 नेबूलाल, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस—902690590 जनपद—कानपुर नगर

5—स्व0 जितेन्द्र कुमार पाल, आरक्षी नागरिक पुलिस—182412093 जनपद—कानपुर नगर

6—स्व0 सुल्तान सिंह, आरक्षी नागरिक पुलिस—062293600 जनपद—कानपुर नगर

7—स्व0 राहुल कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस—162291764 जनपद कानपुर नगर

8—स्व0 बबलू कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस—182417001 जनपद—कानपुर नगर

दिनॉकः 2/3.07.2020 की रात्रि में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष शिवराजपुर श्री महेश कुमार यादव, थानाध्यक्ष चौबेपुर श्री विनय तिवारी, थानाध्यक्ष बिठूर श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य पुलिसजनों की संयुक्त टीम थाना चौबेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0—191/2020 धारा 147/ 148/ 504/ 323/ 364/ 342/ 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम विकास दूबे पुत्र रामकुमार, निवासी—बिकरू, पोस्ट—दिलीप नगर, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, 2— सुनील कुमार पुत्र अशोक

कुमार, 3–बालगोविन्द पुत्र मेवालाल, 4–शिवम् दुबे पुत्र बालगोविन्द, 5–अमर दुबे पुत्र अज्ञात के विरूद्ध कार्यवाही हेतु गॉव बिकरू गयी थी। इन अपराधियों ने अपने अन्य साथियों के साथ पुलिस टीम को घेर कर अपने घरों की छतों से जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी गयी। इस फायरिंग में श्री देवेन्द्र मिश्रा क्षेत्राधिकारी सहित 08 पुलिसजनों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। थानाध्यक्ष बिठूर श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह सहित 06 पुलिसजन गम्भीर रूप से घायल हो गये। इन अपराधियों ने पुलिस के असलहे ए0के0–47 रायफल–1, इंसास रायफल–1, ग्लाक पिस्टल–1, 09 एम0एम0पिस्टल–02 भी लूट लिये। इस घटना में श्री देवेन्द्र मिश्र, क्षेत्राधिकारी बिल्हौर, श्री महेश कुमार यादव उप निरीक्षक थानाध्यक्ष–शिवराजपुर, श्री अनूप कुमार सिंह, उप निरीक्षक चौकी इंचार्ज मन्धना थाना बिठूर, श्री नेबूलाल उप निरीक्षक थाना शिवराजपुर, श्री जितेन्द्र पाल आरक्षी ना0पु0 थाना बिठूर, श्री सुल्तान सिंह आरक्षी ना0पु0 थाना चौबेपुर, श्री बब्लू कुमार आरक्षी ना0पु0 थाना बिठूर एवं श्री राहुल कुमार आरक्षी ना0पु0 थाना बिठूर वीरगति को प्राप्त हो गये।

इस प्रकार श्री देवेन्द्र मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक, श्री महेश कुमार यादव उप निरीक्षक, श्री अनूप कुमार सिंह उप निरीक्षक, श्री नेबूलाल उप निरीक्षक, श्री जितेन्द्र पाल आरक्षी ना0पु0, श्री सुल्तान सिंह आरक्षी ना0पु0, श्री बबलू कुमार आरक्षी ना0पु0 एवं श्री राहुल कुमार आरक्षी ना0पु0 द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी गयी।

9–स्व0 जितेन्द्र कुमार मौर्य, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस–912920162,

दिनॉक 01.10.2019 को चीता मोबाइल ड्यिूटी में नियुक्त मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार मौर्य राजकीय कार्य हेतु थाना क्षेत्र में रवाना थे। ग्राम खेरौना स्थित प्राथमिक पाठशाला के पास जैसे ही पहुॅचे, वहॉ पर दो पुरूष व एक महिला अपने अपने हाथों में बाका(धारदार हथियार) लिये खड़े थे। इस सम्बन्ध में मुख्य आरक्षी ना0पु0 जितेन्द्र कुमार मौर्य व साथी आरक्षी द्वारा पूछने पर अचानक इन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षी दाहिने कन्धे, भुजा, कोहनी तथा बाये हाथ के कन्धे, अंगूठे तथा गर्दन पर गम्भीर चोटें आयी । मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार मौर्य के सिर पर व शरीर में बाके से जोरदार प्रहार के कारण गम्भीर चोटें

आई, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गये। दोनो घायलों को उपचार हेतु सी0एच0सी0 अमेठी लाया गया जहां चिकित्सक द्वारा आरक्षी रामबाबू को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार मौर्य की गम्भीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया, जहॉ से चिकित्सकों द्वारा दिनॉक 01.10.2019 को ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर किया गया। दिनॉक 03.10.2019 को इलाज के दौरान समय 15.30 बजे इनकी मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार श्री जितेन्द्र कुमार मौर्य, मुख्य आरक्षी ना0पु0 द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा त्यौहारों एवं सीमावर्ती राज्य बिहार में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन तथा उ0प्र0 व मध्य प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा उप निर्वाचन के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियत्रंण एवं कानून व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर दिनॉकः10.10.2020 से अभियान चलाने के निर्देश दिये गये,जिसके क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः—

- प्रदेश में 3037 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 98 हजार 573. 65 लीटर अवैध/अपमिश्रित शराब बरामद की गयी।
- अभियान में कुल 60 प्रकरणों में गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।
- गैर प्रान्तों से अवैध शराब की तस्करी/ब्रिकी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में 69 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 15 हजार 791 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी।
- अवैध शस्त्र/फैक्ट्री/कारतूसों के सम्बन्ध में कार्यवाही
  कुल—1027 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।
  कुल—378 अवैध शस्त्र बरामद।
  कुल—11 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां बरामद।

एसटीएफःआर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, मेरठ द्वारा की जा रही मु0अ0सं0—601/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी/201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर की विवेचना में वांछित रूपये 50,000/— के ईनामी अभियुक्त ललित कुमार की गिरफ्तारी।

दिनाक 19—10—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0—601/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी/201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर**, बाईक बोट केस में वांछित रूपये 50,000/— के ईनामी अभियुक्त ललित कुमार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त का विवरणः—

ललित कुमार पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम संदीपुर सेठ, पोस्ट व थाना मवाना, जनपद मेरठ।

गिरफ्तार का स्थान, दिनांक व समयः

शिवनादर यूनिवर्सिटी के करीब से, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर क्षेत्र, दिनांक 19.10.2020
समयः 22.30 बजे

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्रा0लि0 के विरूद्ध थाना थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—601/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी/201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर, जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंघान सेक्टर मेरठ द्वारा की जा रही है, के वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी में सहयोग हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, मेरठ के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री सौरभ विक्रम सिंह, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिूसचना संकलन की कार्यवाही की द्वारा की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनाक 19—10—2020 को उप निरीक्षक श्री सौरभ विक्रम सिंह, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी, कि उसी दौरान विश्वसनीय सूत्रों एवं मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बाईक बोट के मामले में थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वॉछित अपराधी दादरी बाईपास शिवनादर यूनिवर्सिटी के करीब, उत्तर प्रदेश राज्य से अन्य राज्य में भागने के लिए एकत्रित होंगे। तदोपरान्त इस सूचना को विकसित करने के पश्चात समस्त तथ्यों से आर्थिक अपराध अनुसंघान, सेक्टर मेरठ (ई0ओ0डब्लू) के अधिकारियों/विवेचनाधिकारी को अवगत कराते हुए एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा उक्त अभियोग के विवेचनाधिकारी को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई, कि उसी दौरान गन्तव्य स्थान पर एक व्यक्ति खडे होकर किसी का इन्तजार करते हुए दिखाई दिया जिसको संदिग्ध मानते हुए एवं मुखबिर के इशारे पर पकड़ लिया गया, जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम ललित कुमार पुत्र चतर सिंह निवासी उपरोक्त बताया, तत्पश्चात उपरोक्त अभियुक्त ललित कुमार को पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ललित कुमार ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 32 साल है और बी0एस0सी0 एग्रीकल्चर पास है और वह गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्रा0 लि0 कम्पनी में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त रहा है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त ललित कुमार, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के

लिए माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट भी जारी किया गया था और इसी अभियोग में उसकी गिरफ्तारी पर रू0 50,000/—का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त ललित कुमार, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है:—

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	340/19	420/409/467/468/471/120बी/201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट	दादरी	गौतमबुद्धनगर
2	353/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
3	354/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
4	357/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
5	361/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
6	362/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
7	363/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
8	367/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
9	368/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
10	369/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
11	370/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
12	512/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
13	513/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
14	586/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
15	592/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
16	593/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
17	596/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
18	598/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
19	601/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
20	602/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
21	603/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
22	607/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
23	608/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
24	371/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
25	372/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
26	378/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर

27	383 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
28	609 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
29	614 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
30	630 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
31	674 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
32	809 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
33	866 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
34	867 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
35	385 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
36	386 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
37	387 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
38	389 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
39	873 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
40	874 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
41	875 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
42	883 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
43	697 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
44	1335 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
45	1336 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
46	410 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
47	411 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
48	422 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
49	432 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
50	440 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
51	505 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
52	507 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
53	508 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
54	509 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
55	510 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
56	511 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्त ललित कुमार को थाना दादरी गौतमबुद्धनगर के उपरोक्त अभियोग में दाखिल कर विधिक कार्यवाही थाना दादरी व ई0ओ0डब्लू0, मेरठ द्वारा की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर/थाना चुनार

- **50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, बरामद**

दिनांक 19.10.2020 को थाना चुनार, अदलहाट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यादव ढ़ाबा अचितपुर पुरैनी से पुरस्कार घोषित अपराधी विक्रम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–284/2020 धारा 307/302/386/34 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना चुनार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विक्रम निवासी अचितपुर पुरैनी थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय 03 कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर /थाना कटरा

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार लगभग डेढ़ करोड़ रूपये कीमत की अवैध स्मैक(हेरोइन) बरामद**

दिनांक 19.10.2020 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा खम्बा फैक्ट्री के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग से 02 अभियुक्त 1–इबरान 2–सलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग डेढ़ करोड़ रू0 कीमत की 750 ग्राम अवैध स्मैक(हेरोइन) , 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इबरान निवासी पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली

2—सलीम निवासी गढ़ी जलालपुर थाना सनौली जनपद पानीपत, हरियाणा

<u>बरामदगीः—</u>

1—750 ग्राम अवैध स्मैक(हेरोइन) कीमत लगभग डेढ करोड़ रूपये।

2—01 मोटर साइकिल बिना नम्बर की।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना कोतवाली</u>

- **ए0टी0एम0 तोड़कर चोरी की घटना करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के 20 हजार 500रूपये नगद,**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 20.10.2020 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुखदेवपुर चौराहे के पास तीन अभियुक्तों 1—सत्येन्द्र 2—विमलेश 3—मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 20 हजार 500 रूपये नगद,घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा दिनॉकः14/15.10.2020 की रात्रि को महुआ बाग स्थित एक्सेस बैंक, सकलेनाबाद स्थित यूको बैंक व केनरा बैंक का ए0टी0एम0 तोड़कर चोरी की घटना कारित की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सत्येन्द्र निवासी गरथौली पहाड़पुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

2—विमलेश निवासी भुतहिया टाड़ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3—मनीष निवासी बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 20 हजार 500 रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो अधि0) द्वारा थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–342/2020 धारा 363/376 एबी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त दलपत को सश्रम आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त की अन्तिम सांस तक रहेगा की सजा एवं 01 लाख रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———